अपील सूचना अधिकार संख्या 140/2016 अनवानी प्रेम कुमार अग्रवाल निवासी 2/6 नागपाल कालोनी, सुखाडिया सर्किल (इलाहाबाद बैंक की गली) श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रेमकुमार अग्रवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रेमकुमार अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.04.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

1. प्रकरण सं. 02/2002 अनवान स्टेट बनाम दलीप कुमार अन्तर्गत धारा 22 उप. अधि. निर्णय प्रमाणित प्रति दिनांक 18.04.2002 व अदालत तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
2. पटवारी हलका की रिपोर्ट दिनांक 15.01.2002 मय पी–14
3. पटवारी हलका का विवादित फसल कुर्क का कान्ता की रिपोर्ट।
4. लिखित बहस की प्रमाणित प्रति।
5. नकल फर्द अहकाम दिनांक 18.04.2000

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1096–97 दिनांक 27.05.16 से सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश लोक सूचना अधिकारी को दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2322 दिनांक 23.09.16 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में कमेटी बनाकर रिकार्ड की तलाश की गई जिसके अनुसार पत्रावली तहसील कार्यालय में नही पाई गई। जिसकी सूचना प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2016/1096–97 दिनांक 27.05.2016 को दी जा चुकी है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1096–97 दिनांक 27.05.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

> उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रकरण संख्या 2/02 अनवान स्टेट बनाम दलीपकुमार अन्तर्गत धारा 22 की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपियां चाही गई थी। उक्त रिकार्ड की तलाश गठित कमेटी के द्वारा की गई जिसके अनुसार उक्त पत्रावली तहसील कार्यालय में नही पाई गई है सूचनार्थ प्रेषित है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओ से संबंधित पत्रावली तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही हो रही है। इसलिए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर तो सही है। किन्तु तहसील अभिलेख को सुरक्षित रखना तो तहसील कार्यालय का उत्तरदायित्व है। इसलिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि संबंधित अभिलेख को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के अन्दर–2 तलाश करवाया जावे और उपलब्ध होने पर अपीलार्थी को अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जावे। यदि फिर भी अभिलेख उपलब्ध नही हो तो इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर